

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 401.....

दिनांक:- 24/5/17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:- मेसर्स सेल, मनोहरपुर लौह अयस्क खान, चिरिया ग्रुप के खनन पट्टों के सैद्धान्तिक अपयोजन स्वीकृति क्षेत्र 595.075 हे० से खनिज की निकासी/परिवहन के लिए समर्पित closed conveyor system के लिए प्रस्तावित 14.88 हे० वनभूमि पर अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 1000 दिनांक 19.05.2017
महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स सेल, मनोहरपुर लौह अयस्क खान, चिरिया ग्रुप के छः खनन पट्टों का सैद्धान्तिक अपयोजन स्वीकृति (Stage-I) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक- 8-70/2009-FC दिनांक- 07.03.2011 द्वारा प्रदान की गई है। कुल पट्टा क्षेत्र 2376.122 हे० में से 595.075 हे० वनभूमि की सैद्धान्तिक अपयोजन स्वीकृत्यादेश शर्त संख्या- 15 यथा “ **Only closed conveyor System will be used for transportation of ore** ” के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित 14.88 हे० वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 1000 दिनांक 19.05.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

प्रस्ताव से संबंधित वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

- (1) प्रस्ताव का Proposal No. FP/JH/other/18317/2016 है।
- (2) Land schedule के अनुसार Closed Conveyor System हेतु 14.88 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।
- (3) मेसर्स सेल, मनोहरपुर लौह अयस्क खान परियोजना चिरिया के कुल 06 (छः) लौह अयस्क खनन पट्टे स्वीकृत है जो दो समूह में है। प्रथम समूह में 03 (तीन) खनन पट्टे यथा (1) अजीताबुरु खनन पट्टा, (2) बुधाबुरु खनन पट्टा एवं (3) धोविल खनन पट्टा एक दूसरे से सटे (adjoining) है तथा शेष 03 (तीन) खनन पट्टे यथा (4) सुकरीलुटुरबुरु खनन पट्टा, (5) अंकुवा खनन पट्टा तथा (6) टाटीबुरु खनन पट्टा भी एक दूसरे से सटे (adjoining) है। इन खनन पट्टों की समूह की बीच की दूरी लगभग 2 कि०मी० है। अजीताबुरु खनन पट्टा से closed conveyor system आरम्भ होकर मनोहरपुर रेलवे साइडिंग तक प्रस्तावित है जिसमें कुल 21.7580 हे० भूमि का उपयोग किया जायेगा इसमें वनभूमि 14.88 हे० तथा रयैती गैर वनभूमि 6.878 हे० है। यह closed conveyor system अंकुवा आरक्षित वनभूमि के कम्पार्टमेंट संख्या -A-3, A-4, A-10 एवं A-34 से होते हुए राजस्व ग्राम अंकुवा एवं पाथरबासा के रयैती भूमि से होकर प्रस्तावित है।
- (4) अंचलाधिकारी, मनोहरपुर का पत्रांक 274(A) दिनांक 11.06.2016 के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र गाँव -अंकुवा, थाना न०- 53 रकवा-4.514 हे० एवं पाथरबासा थाना न० -89, रकवा-2.364 हे० कुल रकवा- 6.878 हे० खतियान में गैर जंगल-झाड़ी भूमि के रूप में दर्ज है जो प्रस्ताव में अनु०- XIII के रूप में संलग्न है।

(5)

Sl. No.	Purpose	Virgin Forest Area Proposed to be Diverted in ha.
1	Approach road for towers	8.756
2	Area for towers	1.170
3	Area for track Rope dividing	0.060
4	Area for Tailiing loading Station & End station	2.250
5	Area for laydown	1.000
6	Area for Ropecon Alignment	1.644
Total :-		14.88

- (6) वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सेल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि Closed conveyor system का कार्य पूर्ण होने के उपरांत Approach road for towers के लिए प्रस्तावित वनभूमि 8.756 हे० का उपयोग बाद में नहीं किया जायेगा, क्योंकि Conveyor Belt में ऐसा System है कि उसका मरम्मत/रख-रखाव Conveyer Belt के लिए अपयोजित वनभूमि के अन्दर से ही हो जायेगा। यानि Approach Road के लिए प्रस्तावित वनभूमि बिल्कुल अस्थायी है। अतः Conveyor Belt की स्थापना के उपरांत मेसर्स सेल को इस भूमि पर वनरोपण कार्य एवं लागत राशि का व्यय वहन करना होगा।
- (7) अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 14.88 हे० वनभूमि के वृक्षों की गणना की गई है। गणना सूची के अनुसार वृक्षों की संख्या-1494 है। प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.6 है एवं Eco Class-I है। वृक्षों का सारांश की सूचना Online upload कर दी गई है। वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव में अनु०-XV के रूप में संलग्न है।
- (8) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वर्जिन क्षेत्र 14.88 हे० के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दो गुणा अवकृष्ट वनभूमि 29.76 हे० लागू होता है। परन्तु इसके लिए 40.00 हे० अवकृष्ट वन का चयन सारण्डा प्रमण्डल के कोयना वन प्रक्षेत्र के अंकुवा आरक्षित वन कम्पार्टमेन्ट-8 में किया गया है एवं उक्त क्षेत्र को टोपोशीट में रेखांकित करके तैयार की गई, Polygon Map तथा टोपोशीट मैप में सीमांकित पीलरों का D.G.P.S. सर्वे के अनुसार Co-ordinate अंकित किया गया है तथा वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार 10 वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना का प्राक्कलन तैयार कर इन मैपों एवं वनरोपण प्राक्कलन को PDF File में तैयार कर Online upload किया गया है। साथ ही, उक्त अभिलेखों यथा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि का टोपोशीट मैप, Polygon Map एवं 10 वर्षीय वनरोपण योजना का प्राक्कलन की Hard Copy प्रस्ताव में क्रमशः अनु०- XVII, XVI(A) एवं XVI (B) के रूप में संलग्न किया गया है।
- (9) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अपयोजन हेतु पूर्व समर्पित वनभूमि 17.24 हे० का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 62(बी०) दिनांक 29.01.2016 से निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या-46 तथा अनु०- VII में संलग्न है। चूंकि प्रस्ताव संशोधित कर समर्पित किया गया है अतः संशोधित अपयोजन क्षेत्र-14.88 हे० निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र का ही भाग है।
- (10) प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है, परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। प्रस्तावित conveyor route के उत्तर-पूर्वी दिशा में लगभग 1.75 कि०मी० की दूरी पर अंकुवा-अम्बिया Elephant Corridor पड़ता है। ऐसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि Conveyor Belt की उँचाई लगभग 22 मीटर रखी गई है, ताकि जंगली जानवरों के अवागमन बाधित न हो।
- (11) प्रस्तावित प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में वन्य प्राणियों के समुचित संरक्षण/प्रबन्धन करने तथा संभावित मानव-वन्य प्राणी द्वन्द से निपटने हेतु एक समग्र वन्य प्राणी प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण को अपने लागत खर्च पर करना होगा।
- (12) प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा KML File एवं उसका Shape File प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

- (13) वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में धोबिल माईन्स से खनिज का परिवहन ट्रक के माध्यम से होने के कारण पर्यावरण की क्षति के साथ-साथ वन्य प्राणियों के अवागमन प्रभावित होता है तथा देश का आयातित ईंधन का भी अतिरिक्त खर्च हो रहा है। इसके मद्देनजर भी प्रस्तावित Conveyor Belt प्रस्ताव अपयोजन हेतु विचारणीय है।
- (14) प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। इस हेतु CWLW की मंतव्य की मांग की जा रही है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जाएगा।
- (15) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्ताव से संबंधित अभिलेखों/सूचनाओं को Form-Part-II में दिनांक- 26.04.2017 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा Part-III (Inspection report & Recommendation) में अपने मंतव्य के साथ Upload किया गया है। अधोहस्ताक्षरी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत है।
- (16) Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।

मेसर्स सेल, मनोहरपुर अयस्क खान के Online समर्पित 14.88 हे० वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव में निम्नांकित अभिलेख एवं मैप संलग्न है :-

01	Form A	
02	Power of Attorney	Annexure-I
03	Proposed Conveyor route on Survey of India Topo sheet	Annexure-II
04	DGPS map of Proposed conveyor route	Annexure-III
05	Justification for locating the project in forest land	Annexure-IV
06	Environmental Clearance order dated 31.03. 2011	Annexure-V
07	Cost Benefit Analysis	Annexure-VI
08	FRA Certificate	Annexure-VII
09	Technical Report	Annexure-VIII
10	Copy of Stage-I Forestry Clearance Grant Letter	Annexure-IX
11	Ore Transportation Study Report mentioned in DPER prepared by M/s Hatch Associates & Technical note on shortlisted evacuation route	Annexure-X
12	Plan showing the purpose wise land use	Annexure-XI
13	Undertaking to bear the cost of raising and maintenance Compensatory Afforestation and NPV.	Annexure-XII
14	Certificate from Revenue Deptt. Regarding Status of Revenue Land .	Annexure-XIII
15	Justification of approached road area of 8.756 ha.	Annexure-XIV
16	Tree Enumeration List & Abstract of Trees Enumeration.	Annexure-XV
17	Comensatory Afforestation (CA) Land Map, CA Scheme in shape file.	Annexure-XVI(A) & XVI(B)
18	Comensatory Afforestation (CA) Land on SOI Topo Sheet	Annexure-XVII
19	FORM "A" Part-II ,Hard copy along with Site Inspection Report & Recommendation ,Time Line Details	Annexure-XVIII

वन विभागीय ज्ञापांक 4542 दिनांक 08.11.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव को Upload किया गया है। Time line पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्व सभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

INSTALLATION OF CONVEYOR SYSTEM FOR THE EVACUATION OF IRON ORE FROM MANOHARPUR ORE MINES, CHIRIA OF M/S SAIL TO THE PROPOSED PROCESSING PLANT AT PATHARBASA 14.88 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks.


(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 14.88 ha. Forest land.

Date :- 24.05.2017

Place :- Ranchi.

Signature


(RAMESH RAMSAI HEMBROM)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests

-cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)